प्रेस नोट **दिनांक 17.07.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 17.07.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके ।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया । महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया । साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन स्थित निर्माणाधीन साइबर थाना भवन का निरीक्षण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा आज पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन साइबर थाना भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कराया जाए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए, ताकि भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित साइबर थाना आमजन को त्वरित एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

छिनैती की घटना का सफल अनावरण दो बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से छिनैती की गयी एक अदद कान की बाली एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट/छिनैती की घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2026 धारा 304 बीएनएस की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों की जांच , प्रभावी सुरागरसी, पतारसी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना में संलिप्त दो बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनके निशानदेही पर घटना से सम्बन्धित एक अदद कान की बाली (पीली धातु) बरामद की गयी। साथ ही बाल अपचारियों की जामा तलाशी से

₹500/- नगद बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या UP54BF0612) को अन्तर्गत धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया। पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2), 112(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा घटना में शामिल आशू डोम पुत्र सुरेश डोम निवासी काशीराम आवास, कंधेरी, थाना सरायलखंसी जनपद मऊ का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

अपचारीकिशोर गण की गिरफ्तारी के दौरान व पूछताछ से यह पाया गया है कि यह भी प्रकाश में आया कि उक्त अपचारी किशोर गण अपने साथी आशू डोम के साथ सुबह टहलने निकलने वाली महिलाओं के पहने हुए गहने जैसे चैन , मंगलसूत्र बाली आदि की छिनैती कर लिया करते थे तथा उसको ले जाकर बेच दिया करते थे तथा पैसों को आपस में बराबर बांट दिया करते थे । इनके द्वारा ही दिनांक 14.07.2026 को प्रातः 05.00 बजे के आसापस जामवंती देवी पत्नी सुरेश यादव निवासी सहादतपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ जो प्रातः टहलते हुए गायत्री मंदिर से आजमगढ़ मोड़ जाने वाले मार्ग पर विनय हार्डवेयर के पास जब पहुंची थी तो पीछे से टीवीएस मोटरसाइकिल पर सवार होकर झपट्टा मारकर उनके दाहिने कान की सोने की बाली छीन ली और फरार हो गये थे जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 210/2026 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया है । इन्हीं तीनों के द्वारा ही द्वारा दिनांक 01.06.2026 को थाना सरायलखन्सी क्षेत्र के सूखापट्टी नई बस्ती ताजोपुर में शिवमन्दिर के पास से एक महिला का मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीनने का प्रयास किया था पर सफल नहीं हो पाये थे जिसके सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी से जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 62 एवं 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना थाना सरायलखंसी को प्रेषित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए दोनों बाल अपचारियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बाल अपचारियों से पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान दोनों बाल अपचारियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि घटना में उनके साथ आशू डोम भी शामिल था। घटना के दौरान छीनी गयी कान की बाली को उन्होंने अपने कब्जे में रखा था, जिसे उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आशू डोम का नाम मुकदमे में प्रकाश में लाया गया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण –

एक अदद कान की बाली (पीली धातु)

₹500/- नगद

घटना में प्रयुक्त एक अदद टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल (वाहन संख्या UP54BF0612) सीजशुदा

आपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु.अ.सं. 210/26 धारा 304, 317(2), 112(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मऊ
2. मु.अ.सं.189/2026 धारा 62 एवं 304(2) बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

गिरफ्तारी का दिनांक, समय एवं स्थान –

दिनांक : 17.07.2026

समय : 03:50 AM

स्थान : रामलीला मैदान रेलवे स्टेशन के पास थाना कोतवाली नगर क्षेत्र, जनपद मऊ।

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी का विवरण –

1. काशीराम आवास, कंधेरी ब्लॉक-29, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ निवासी लगभग 16 वर्षीय बाल अपचारी ।
2. ग्राम मुंगेशर, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ निवासी लगभग 16 वर्षीय बाल अपचारी ।

प्रकाश में आया अभियुक्त –

1. आशू डोम पुत्र सुरेश डोम निवासी काशीराम आवास, कंधेरी, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष

दुष्कर्म करने वाले एक नफर अभियुक्त की गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी, मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.07.2026 को देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर नन्दौर पुलिया नहर के पास से मु0अ0सं0 249/2026 धारा 75(3), 64(1), 352, 351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3/4 पास्को एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतेन्द्र राजभर पुत्र विक्कू राजभर निवासी बहोरानपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1.

सतेन्द्र राजभर पुत्र विक्कू राजभर निवासी बहोरानपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोंग-</u>

1. मु0अ0सं0 249/2026 धारा 75(3) ,64(1) ,352 ,351(3) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय</u>-

1. नन्दौर पुलिया नहर से समय करीब 11.बजे सुबह 20

थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 65000-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व थानाध्यक्ष कोपागंज के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, अनुराग जयसवाल पुत्र धर्मेन्द कुमार जयसवाल निवासी कोपागंज मऊ की 65,000 रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोपागंज में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 65000 /- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 45000 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, दीपक निवासी जोगीबीर थाना घोसी जनपद मऊ - वीवो साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 9800-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, सुमित राय पुत्र तेज प्रकाश राय निवासी गोठा जनपद मऊ की 9800/- रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना दोहरीघाट में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 9800 /- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 17.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 37 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 431 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 6772-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन व थानाध्यक्ष हलधरपुर के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता, सुनीता देवी पत्नी कन्हैया लाल निवासीनि पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ 6772 /- रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना दोहरीघाट में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 6772 /- रुपये वापस कराया गया।

नाबालिग लड़के से मोटर साइकिल चलाने वाले अभिभावक के विरूद्ध की गयी वैधानिक कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा रोड पर स्टंटबाजी/यातायात नियमों का उल्लघन करने वालो को विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला की पुलिस टीम द्वारा शोसल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर नाबालिग बच्चे से मोटर साइकिल चलवाने की वायरल हुई वीडियो की जांच की गयी तो जांच से तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना दो दिन पूर्व की है तथा वीडियो में दिख रही सीडी डिलक्स मोटर साइकिल का न0 UP54AA 5177 है तथा वीडियो में मोटर साइकिल पर पीछे बैठ व्यक्ति का नाम रशाद इलाही पुत्र एजाज अहमद निवासी मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.07.2026 सूचना मिली की वीडियो में दिख रही मोटर साइकिल हकीकतपुरा मोड़ पर खड़ी है। उक्त सूचना पर थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के चालक को हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया, पूछताछ से स्पष्ट हुआ की दो दिन पूर्व नाबालिग लड़के के मोटर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ है, वह इसी मोटर साइकिल को चला रहा था तथा पकड़ा गया व्यक्ति रशाद इलाही उपरोक्त मोटर साइकिल के पीछे बैठा हुआ था। उक्त मोटर साइकिल UP54AA 5177 को सीज करते हुए पकड़े गये व्यक्ति रशाद इलाही पुत्र एजाज अहमद निवासी मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त-

1. रशाद इलाही पुत्र एजाज अहमद निवासी मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ